

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 466/2021

तारीख रजू 10.12.2021

दावा बावत

तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशाल आई0डी0 नम्बर 2021/588

उनवान

समयसिंह पुत्र तुलसी जाति कम्हार निवासी ईरनियों तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

धर्मसिंह पुत्र तुलसी बगौ जाति कम्हार निवासी ईरनियों तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान प्रतिवादीगण 03

दिनांक	फर्द अहकाम
12.2021	<p>आज यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री अता उल हक नूरी एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 7.1.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अमरूप सिंह) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>7/22 वकूलाय उपस्थित/पीठारोम अधिकारी... प्रकार है। गतानुसार दिनांक 5-11-22 को पेश हो।</p>
2/2022	<p>पत्रावली आज मिस्टर नन्दी के प्रावधान पर पेश हुई। वादी व वाकी वकील उपस्थित। वादी व वाकी वकील ने इन्कार किया कि वादी उक्त दावा नहीं करना चाहता है। वादी उक्त दावा नोटिस में शामिल करना चाहता है। दावा नं० 466/2021 दावा समयाधि काल धर्मसिंह वगैरे नोटिस में शामिल किया जाता है। पत्रावली केवल इन्कार होकर नम्बर से सम्म हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला (करौली)</p> <p style="text-align: right;">नोटिस समयाधि दिनांक</p>